A6/1

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बून्दी

पीठासीन अधिकारी— श्री घनश्याम शर्मा
आर.ए.एस

मिसल संख्या	तारीख दायर	तारीख फैसला
34/अपील/2016	22.04.2016	25.06.2024

1. भंवर लाल
2. रमेश
3. मोहन

पुत्र रंगलाल जाति मीणा निवासी खजूर का नला तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

4. भूरी बाई बेवा रंगलाल जाति मीणा निवासी खजूर का नला तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

—अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीलाल पुत्र गज्जा जाति मीणा
2. यादराम पुत्र अणदा जाति मीणा
3. रामसिंह पुत्र अणदा जाति मीणा
4. पुष्पा बेवा अणदा जाति मीणा
5. गीता पुत्री अणदा जाति मीणा
6. कैलाशी पुत्री अणदा जाति मीणा

निवासी खजूर का नला तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

7. सरकार जरिये तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी।
8. सरपंच ग्राम पंचायत पगारा पंचायत समिति हिण्डोली जिला बून्दी।

—रेस्पोडेन्ट

उपस्थित—
अपीलान्ट संख्या 1 लगायत 4 की ओर से—श्री शम्भूदयाल शर्मा एड.
रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 व 8 के विरूद्ध—एकपक्षीय कार्यवाही
रेस्पोडेन्ट संख्या 7 की ओर से—पेरोकार सरकार

निर्णय

यह अपील तहसीलदार हिण्डोली द्वारा तस्दीकशुद्धा नामान्तरकरण संख्या 313 दिनांक 24.11.2004 वाके ग्राम खजूर का नला तहसील हिण्डोली से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की गयी। अपीलाधीन नामान्तरकरण की कृषि भूमि खसरा संख्या 257, 258, 259, 260, 261, 613, 621, 626, 700, 714, 715, 716, 720, 724, 725, 726, 851, 852, 853, 854, 858, 860, 861 से 875, 877, 878, 880, 881 कुल किता 42 कुल रकबा 82 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम खजूर का नला पटवार मण्डल पगारा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में विस्थित हैं। नामान्तरकरण संख्या 313 दिनांक 24.11.2004 से अप्रसन्न होकर अपील प्रस्तुत की गयी। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया

अति० जिला कलक्टर
बून्दी (राज०)

A6/2

गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 व 8 बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं
होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस उभयपक्ष समाअत की गई।

अभिभाषक अपीलान्ट बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि कृषि भूमि खसरा
संख्या 257, 258, 259, 260, 261, 613, 621, 626, 700, 714, 715, 716, 720, 724, 725,
726, 851, 852, 853, 854, 858, 860, 861 से 875, 877, 878, 880, 881 कुल किता 42
कुल रकबा 82 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम खजूर का नला पटवार मण्डल पगारा तहसील
हिण्डोली जिला बून्दी में विस्थित हैं। उक्त भूमि के सहखातेदार गज्जा आ. चन्द्रा की मृत्यु
हो गई हैं। गज्जा की मृत्यु के बाद उक्त भूमि पर विरासत का नामान्तरकरण श्रीलाल,
रंगलाल, अणदा, लटूर पि. गज्जा के नाम दर्ज किया जाकर तहसीलदार द्वारा तस्दीक
किया गया हैं। उक्त नामान्तरकरण रंगलाल के नाम भी दर्ज किया गया हैं जो गलत दर्ज
किया गया हैं जबकि गज्जा का पुत्र रंगलाल, गज्जा के भाई नन्दा आ. चन्द्रा के गोद चला
गया था और सामाजिक रीति रिवाज के मुताबिक गज्जा व उसकी पत्नि मथरी बाई ने
नाबालिग अवस्था में ही रंगलाल को अपने भाई नन्दा व उसकी पत्नि सीता की गोद में
बैठाकर गोद दे दिया था तथा नन्दा व उसकी पत्नि सीता ने रंगलाल को गोद ले लिया
था। नन्दा व सीता ने ही रंगलाल की परवरिश की, शादी ब्याह किया तथा नन्दा व सीता
की मृत्यु के बाद उनकी चल–अचल सम्पत्ति पर रंगलाल काबिज चला आ रहा था। उक्त
नामान्तरकरण गज्जा के सभी वारिसान के नाम भी दर्ज नहीं किया गया। गज्जो के 5 पुत्र
श्रीलाल, लटूर, अणदा, रंगलाल व राजू थे जिनमें से रंगलाल नन्दा के गोद चला गया और
शेष पुत्रों के नाम नामान्तरकरण तस्दीक किया जाना चाहिये था लेकिन उक्त
नामान्तरकरण गज्जा के सभी वारिसान के नाम दर्ज नहीं करने व गोद गये हुये रंगलाल
के नाम भी उक्त नामान्तरकरण तस्दीक किया गया। विवादित भूमि पर गज्जा के पुत्र के
रूप में रंगलाल के नाम उक्त नामान्तरकरण दर्ज किया गया हैं जो गलत दर्ज किया गया
हैं। रंगलाल, नन्दा पि. चन्द्रा के गोद चला जाने से रंगलाल का गज्जा की उक्त भूमि पर
कोई हक व अधिकार नहीं रहा हैं। दिनांक 28.02.2016 को पटवारी हल्का द्वारा उक्त
विवादित नामान्तरकरण की जानकारी देने पर अपीलान्ट को उक्त विवादित नामान्तरकरण
की प्रथम बार जानकारी हुई हैं। इस प्रकार ज्ञान की तिथि से यह अपील अन्तर्गत अवधि
मध्य प्रस्तुत हैं, फिर भी अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब माना जावे तो विलम्ब को क्षमा किये
जाने हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पृथक से प्रस्तुत किया गया।
अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 313 से गज्जा की विरासत पर रंगलाल का नाम दर्ज
होने के बाद गज्जा से रंगलाल के नाम विरासत से दर्ज की गयी। उक्त भूमि रंगलाल की
मृत्यु के उपरान्त रंगलाल के वारिसान अपीलान्ट के नाम दर्ज कर दी गयी हैं जबकि
अपीलान्ट का गज्जा की उक्त भूमि से कोई सरोकार नहीं हैं, न तो कब्जा हैं और न ही
अपीलान्ट गज्जा से रंगलाल के नाम दर्ज हुई भूमि को लेना चाहते हैं। नन्दा आ. चन्द्रा के
हिस्से की उपरोक्त भूमि पर नन्दा व उसकी पत्नि सीता की मृत्यु के उपरान्त गोदपुत्र
रंगलाल आ. नन्दा के नाम भूमि दर्ज की जा चुकी हैं। रंगलाल ताजिन्दगी उक्त भूमि पर

अति० जिला कलक्टर
बून्दी (राज०)

काबिज चले आ रहे थे तथा रंगलाल की मृत्यु के बाद अपीलान्ट नन्दा आ. चन्द्रा की भूमि पर काबिज काश्त हैं। रंगलाल आ. नन्दा की मृत्यु के उपरान्त अपीलान्ट ने उपरोक्त भूमि पर रंगलाल आ. नन्दा के स्थान पर नामान्तरकरण दर्ज करवाने हेतु आवेदन किया तब पटवारी हल्का ने यह कहते हुये नामान्तरकरण दर्ज करने से इंकार कर दिया कि गज्जा की भूमि पर रंगलाल का नाम पहले से दर्ज हो रहा हैं और गज्जा की भूमि पर रंगलाल की मृत्यु के बाद तुम्हारा नाम दर्ज किया जा चुका हैं। इस कारण अब रंगलाल आ. नन्दा की भूमि पर तुम्हारे नाम नामान्तरकरण दर्ज नहीं किया जा सकता। अपीलान्ट रंगलाल आ. नन्दा के वारिसान हैं और रंगलाल आ. नन्दा की भूमि पर ही अपीलान्ट के नाम नामान्तरकरण दर्ज किया जाना चाहिए। अपीलान्ट के पिता रंगलाल के नाम तस्दीक किया गया विवादित नामान्तरकरण निरस्त किया जाना चाहिये क्योंकि रंगलाल आ. नन्दा गोद चले जाने के बाद गज्जा की भूमि से कोई वास्ता नहीं रहा हैं और रंगलाल की मृत्यु के बाद गज्जा की भूमि पर अपीलान्ट के नाम भी गलत दर्ज किये गये हैं। ऐसी स्थिति में उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किया जाकर गज्जा की भूमि पर दर्ज किया गया रंगलाल का नाम व रंगलाल के स्थान पर दर्ज किये गये अपीलान्ट के नाम विलोपित किया जाकर वादग्रस्त भूमि में रंगलाल आ. नन्दा के स्थान पर अपीलान्ट के नाम नामान्तरकरण दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किया जाना न्यायोचित हैं। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर नामान्तरकरण संख्या 313 दिनांक 24.11.2004 ग्राम खजूर का नला तहसील हिण्डोली निरस्त किया जावे।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान व्यक्त किया कि ग्राम पगारा के नामान्तरकरण संख्या 397 दिनांक 21.01.1983 से ग्राम पंचायत द्वारा निर्णय में मृतक गज्जा के स्थान पर रंगलाल को छोड़कर श्रीलाल, अणदा, राजू पि. गज्जा, मथरी बेवा गज्जा का नाम दर्ज करने का आदेश हुआ एवं रंगलाल को अन्यत्र गोद चला गया बताया। ग्राम पंचायत पगारा द्वारा दिनांक 21.01.1983 को दिये गये फैसले में सीता बेवा नन्दा के स्थान पर रंगलाल पि. नन्दा कौम मीणा साकिन देह हिस्सा 1/5 खातेदार दर्ज करने का आदेश हुआ। अतः उक्त नामान्तरकरण निरस्त किया जावें।

हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन कर बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अपील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत तर्क एवं पत्रावली के अवलोकन व पैरोकार सरकार की बहस के आधार पर निर्णित किया जाना उचित समझते हैं, जहां अपील में पक्षकारान के सारभूत तथ्य निहित हो वहां अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। ग्राम पगारा के नामान्तरकरण संख्या 397 दिनांक 21.01.1983 से ग्राम पंचायत द्वारा निर्णय में मृतक गज्जा के स्थान पर रंगलाल को छोड़कर श्रीलाल, अणदा, राजू पि. गज्जा, मथरी बेवा गज्जा का नाम दर्ज करने का आदेश हुआ एवं रंगलाल को अन्यत्र गोद चला गया। ग्राम पंचायत पगारा द्वारा दिनांक 21.01.1983 को दिये गये फैसले में सीता बेवा नन्दा के स्थान पर रंगलाल पि. नन्दा कौम मीणा साकिन देह हिस्सा 1/5 खातेदार दर्ज करने का आदेश हुआ। नामान्तरकरण 313 दिनांक 24.11.2004 को निरस्त करते हुये पुनः नामान्तरकरण पृथक से दर्ज करवाया जाना उचित समझते है।

अति० जिला कलक्टर
बून्दी (राज०)

A-6/5

अतएवः परिणामस्वरूप उपरोक्त विश्लेषणानुसार अपील सारवान पाऐ जाने से अपील स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 313 दिनांक 24.11.2004 ग्राम पगारा तहसील हिण्डोली को निरस्त किया जाता हैं। साथ ही प्रकरण को इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रति प्रेषित किया जाता हैं कि वह सम्पूर्ण विधिक जांच कर नये सिरे से अपना निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 25.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. जिला कलक्टर
बून्दी (राज०)

अति. जिला कलक्टर,
बूंदी